No.29018/16/2012-AIS(II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
(Department of Personnel & Training)
****

North Block, New Delhi
Dated: 4/10/2013

To

The Chief Secretaries of all the
State Governments and UTs.

Subject: Notification regarding Indian Administrative Service (Commutation of Pensions) Amendment Regulations, 2013.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of Indian Administrative Service (Commutation of Pensions) Amendment Regulations, 2013 notified in the Gazette of India (extraordinary) vide G.S.R. No. 647(E) dated 20/09/2013, for necessary action.

Yours faithfully,

Manoj Kumar Dwivedi
Director(Services)
☎ 011-23092483

Encls. : As above.

Copy for information and necessary action to :

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. NIC, DOPT – with the request to put on this circular on the website (Home page > Gazette Notification > Services & Vigilance > Services Division).

Manoj Kumar Dwivedi
Director(Services)
☎ 011-23092483

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935
No. 485] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 647(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की उप-धारा (1), जिसे धारा 3 की उप-धारा (1ए) के साथ पढ़ा जाए, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृति लाभ) नियम, 1958 के नियम 25 के अनुसरण में भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के उपरांत अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का सारांशीकरण) विनियम, 1959 में और संशेधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का सारांशीकरण) संशोधन विनियमों, 2013 कहा जा सकेगा ।

   (2) ये विनिमय 2 सितम्बर, 2008 से लागू माने जाएंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का सारांशीकरण) विनियम, 1959 (इसके बाद इन विनियमों को उक्त विनियम कहा जाएगा) विनियम 3 में –

   (क) उप-विनियम (1) में –

   (i) द्वितीय परंतुक को निम्नलिखित परंतुकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "बशर्ते कि यदि सेवा का कोई सदस्य जनवरी 2006 के प्रथम दिन और सितंबर, 2008 के प्रथम दिन के बीच सेवानिवृत्त हो रहा हो, ने पूर्व-संशोधित वेतनमान का विकल्प दिया हो, तो ऐसे मामले में पेंशन का सारांशीकरण जनवरी, 2006 के प्रथम दिन से पूर्व में लागू नियमों और आदेशों के नियमानुसार देय होगा" :

"बशर्ते यह भी कि सेवा के वे सदस्य जिनकी पेंशन का सारांशीकरण जनवरी, 2006 के प्रथम दिन अथवा उसके पश्चात् परंतु सितम्बर, 2008 के दूसरे दिन के पूर्व देय हो गया हो, पूर्व संशोधित वेतन अथवा पेंशन के आधार पर पेंशन के सारांशीकरण के भुगतान हेतु पूर्व संशोधित सारांशीकृत मूल्यांकन तालिका को प्रयोग में लाया जाएगा और ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में इन विनियमों के साथ संलग्न पेंशन हेतु सारांशीकृत मूल्यांकन की संशोधित तालिका को भूतलक्षी प्रभाव से वेतन संशोधन तथा पेंशन के लिए सारांशीकरण हेतु देय पेंशन की अतिरिक्त राशि के सारांशीकरण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा";

(ख) उप-विनियम (2) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (2) यदि पेंशन के भाग को सारांशीकृत किया जाना है और उसका परिणाम रुपए का भाग है, तो रुपए के ऐसे भाग को सारांशीकरण के प्रयोजनार्थ नज़रअंदाज कर दिया जाएगा"

(3) इन विनियमों के विनियम 4क में तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः-

"बशर्ते यह भी कि यदि सारांशीकृत राशि का भुगतान, पेंशन के उर्ध्वमुखी संशोधन के लिए एक से अधिक अवसरों पर किया गया था तो पेंशन की संबंधित सारांशीकृत राशि को संबंधित तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के उपरांत पुनःबहाल कर दिया जाएगा"

(4) इन विनियमों के विनियम 4क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"4ख अंतिम पेंशन का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन-सेवा का कोई सदस्य जिसने अपनी अंतिम पेंशन के कुछ प्रतिशत का सारांशीकरण किया हो, और सारांशीकरण के उपरांत उसकी पेंशन संशोधित हो गई हो और सरकार के निर्णय के फलस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ गई हो तो सेवा के सदस्य को बढ़ी हुई पेंशन के संदर्भ में निर्धारित सारांशीकृत मूल्य और पहले से प्राधिकृत सारांशीकृत मूल्य के अंतर का भुगतान किया जाएगा । अंतर के भुगतान हेतु आवेदक को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है;

"बशर्ते कि, ऐसे आवेदक के मामले में जिसने सिविल सर्जन अथवा किसी जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा फिट घोषित किए जाने के उपरांत अपनी मूल पेंशन का कुछ प्रतिशत सारांशीकृत किया हो, जो छह हजार रुपए से अधिक नहीं है और पेंशन के भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ने के परिणामस्वरूप वह प्रतिमाह छह हजार रुपए से अधिक की राशि को सारांशीकृत करवाने हेतु पात्र हो गया हो तो उसे बिना अन्य चिकित्सा जांच के छह हजार प्रतिमाह का सारांशीकृत मूल्य और मूल वेतन की सारांशीकृत मूल्य के प्रतिशत के मध्य का अंतर देय होगा । छह हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक किसी राशि के सारांशीकरण को नए सारांशीकरण के रुप में लिया जाएगा और तभी दिया जाएगा जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच कर ली जाएगी" ।

(5) इन विनियमों के विनियम 5 में, उप विनियम (5) में, टिप्पणी में शब्दों "अथवा भाग" जहां भी कहीं आएगा उसका लोप कर दिया जाएगा ।

(6) इन विनियमों के विनियम 7क में, -

(क) उप विनियम (1) में "राज्य" शब्द का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उप विनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः

"बशर्ते कि अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि की अगली तिथि से पेंशन का सारांशीकरण हो जाएगा यदि उन्होंनें अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व सारांशीकरण हेतु आवेदन किया है" ।

(7) इन विनियमों की अनुसूची ख के लिए निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची 'ख'
एक रूपए प्रतिमाह की पेंशन हेतु सारांशीकृत मूल्यांकन
1 जनवरी, 2006 से प्रभावी
[देखें विनियम 7(2)]

अगले जन्म दिवस पर आयु	खरीदे गए वर्षों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त सारांशीकृत मूल्य	अगले जन्म दिवस पर आयु	खरीदे गए वर्षों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त सारांशीकृत मूल्य	अगले जन्म दिवस पर आयु	खरीदे गए वर्षों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त सारांशीकृत मूल्य
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

[आधार: एलआईसी (94-96) अंतिम तालिकाएं तथा 8.00% ब्याज]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण यह आवश्यक हो गया है कि जब से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया है उस तिथि से प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए । यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति के हितों को हानि नहीं पहुंचेगी ।

पेंशन के समस्त सारांशीकरण जो 2 सितम्बर, 2008 से देय हो गई है, के लिए इन नियमों के साथ संलग्न पेंशन के लिए सारांशीकृत मूल्य की संशोधित तालिका का प्रयोग किया जाएगा और उन पेंशनभोगियों के मामले मे जिनकी परिपक्व का सारांशीकरण 1 जनवरी, 2006 को अथवा इसके उपरांत परंतु 2 सितम्बर, 2008 से पूर्व देय हो गया हो को पूर्व- संशोधित वेतन अथवा पेंशन पर आधारित पेंशन के सारांशीकरण का भुगतान करने के लिए पूर्व संशोधित पेंशन के सारांशीकृत मूल्य तालिका का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में इन नियमों के साथ संलग्न पेंशन सारांशीकृत मूल्य की संशोधित तालिका का पेंशन की अतिरिक्त राशि के सारांशीकरण जो वेतन और पेंशन के भूतलक्षी संशोधन के परिणाम स्वरूप सारांशीकरण हेतु देय हो गया है, के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

(8) इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म घ एवं ङ में आने वाले "भाग" शब्द को "प्रतिशतता" द्वारा प्रतिःस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 29018/21/2012-एआईएसS-II]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी:- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 24.06.1959 के सा.का.नि. संख्या 714 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनुसार संशोधित किए गए :-

क्र. सं.	सा.का.नि. संख्या	तिथि
1.	177	20.02.60
2.	1197	17.09.77
3.	227(अ)	06.04.78
4.	941	14.07.97
5.	718	19.12.97
6.	779(अ)	21.11.02